"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1-74/2014/18 (1) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग, जिला- दुर्ग के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	12	मोहन नगर (पश्चिम) वार्ड
		19	शहीद भगत सिंह (दक्षिण) वार्ड
		37	आजाद वार्ड
		44	बाबा गुरू घासीदास वार्ड
		54	पोटियाकला (दक्षिण) वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	22	स्टेशन पारा वार्ड
		47	सिविल लाईन (उत्तर) वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	14	सिकोला भाठा वार्ड
		48	सिविल लाईन (दक्षिण) वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	15	सिकोला भाठा (दक्षिण) वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	मठपारा (उत्तर) वार्ड
		5	मरारपारा वार्ड
		8	तकियापारा वार्ड
		17	औद्योगिक नगर (उत्तर) वार्ड
		20	शहीद भगत सिंह (उत्तर) वार्ड
		23	दीपक नगर वार्ड
		41	केलाबाड़ी वार्ड
		42	कसारीडीह (पश्चिम) वार्ड
		46	पद्मनाभपुर (पूर्व) वार्ड
		49	बोरसी (पश्चिम) वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	7	किल्ला मंदिर वार्ड
		31	आपापूरा वार्ड
		34	शिवपारा वार्ड
		58	उरला (पूर्व) वार्ड
		60	कातुलबोर्ड (पश्चिम) वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	राजीव नगर वार्ड
		3	मठपारा (दक्षिण) वार्ड
		6	ठेठवार पारा वार्ड
		11	शंकर नगर (पूर्व) वार्ड
		13	मोहन नगर (पूर्व) वार्ड
		24	आमदी मंदिर वार्ड
		27	पोलसाय पारा वार्ड
		40	सुराना कॉलेज वार्ड
		51	बोरसी (उत्तर) वार्ड
		52	बोरसी (दक्षिण) वार्ड
		53	पोटियकला (उत्तर) वार्ड
		57	उरला (पश्चिम)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–74/2014/18 (1) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–74/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–74/2014/18 (1) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Corporation Durg, Distt. Durg** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	**Reservation for Category**	**Ward No.**	**Name of the Wards**
1.	Scheduled Caste	12	Mohan Nagar (West) Ward
		19	Shahid Bhagat Singh (South) Ward
		37	Azad Ward
		44	Baba Guru Ghasidas Ward
		54	Potiyakala (South) Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	22	Station Para Ward
		47	Civil Line (North) Ward
3.	Scheduled Tribes	14	Sikola Bhatha (South) Ward
		48	Civil Line (South) Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	15	Sikola Bhatha (South) Ward
5.	Other Backward Class	4	Mathpara (North) Ward
		5	Mararpara Ward
		8	Takiyapara Ward
		17	Audyogik Nagar (North) Ward
		20	Shahid Bhagat Singh (North) Ward
		23	Deepak Nagar Ward
		41	Kelabadi Ward
		42	Kasaridih (West) Ward
		46	Padmanabhpur (East) Ward
		49	Borsi (West) Ward
6.	Other Backward Class (Female)	7	Killa Mandir Ward
		31	Apapura Ward
		34	Shiv Para Ward
		58	Urla (East) Ward
		60	Katulboard (West) Ward

7.	Female	2	Rajiv Nagar Ward
		3	Mathpara (South) Ward
		6	Thethwar Para Ward
		11	Shankar Nagar (East) Ward
		13	Mohan Nagar (East) Ward
		24	Amdi Mandir Ward
		27	Polsay Para Ward
		40	Surana College Ward
		51	Borsi (North) Ward
		52	Borsi (South) Ward
		53	Potiyakala (North) Ward
		57	Urla (West) Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1—74 / 2014 / 18 (2) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29—ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका कुम्हारी, जिला— दुर्ग के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	6	गुरू घासीदास वार्ड
		17	रामपुर वार्ड
		21	कबीर नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	1	बजरंग चौक वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	13	संजय नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	20	भारत नगर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	बाजार चौक वार्ड
		14	कांजी हाउस वार्ड
		15	हाउसिंग बोर्ड वार्ड
		24	महात्मा गांधी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	8	शांति नगर वार्ड
		10	शंकर नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	दुर्गा चौक वार्ड
		11	कैलाश नगर वार्ड
		12	डंगनिया तालाब वार्ड
		16	परसदा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–74/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–74/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–74/2014/18 (2) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Kumhari, Distt. Durg** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	6	Guru Ghasidas Ward
		17	Rampur Ward
		21	Kabir Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	1	Bajrang Chowk Ward
3.	Scheduled Tribes	13	Sanjay Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	20	Bharat Nagar Ward
5.	Other Backward Class	5	Bazar Chowk Ward
		14	Kanji House Ward
		15	Housing Board Ward
		24	Mahatma Gandhi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	8	Shanti Nagar Ward
		10	Shankar Nagar Ward
7.	Female	2	Durga Chowk Ward
		11	Kailash Nagar Ward
		12	Danganiya Talab Ward
		16	Parsada Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014 .

अधिसूचना

क्र. एफ 1–74/2014/18 (3) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका अहिवारा, जिला– दुर्ग के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	3	इंदिरा गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	सुभाषचंद्र बोस वार्ड
		7	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		8	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	स्वामी विवेकानंद वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
		9	पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड
		11	डॉ. अम्बेडकर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–74/2014/18 (3) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–74/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–74/2014/18 (3) the list of the Reservation of Wards for **Municipal Council Ahiwara, Distt. Durg** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	14	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	3	Indira Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	10	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	5	Subhash Chandra Bose Ward
		7	Lal Bahadur Shastri Ward
		8	Dr. Rajendra Prasad Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Swami Vivekanand Ward
7.	Female	6	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		9	Pt. Ravishankar Shukla Ward
		11	Dr. Ambedkar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–74/2014/18 (4)छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत धमधा, जिला– दुर्ग के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	11	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		12	जय अम्बे वार्ड
		15	चन्द्रशेखर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	6	राजीव गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	4	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		5	सदर बाजार वार्ड
		8	शंकर नगर वार्ड
		9	शीतला मंदिर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–74/2014/18 (4) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–74/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–74/2014/18 (4) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Dhamdha, Distt. Durg** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	11	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	3	Dr. Rajendra Prasad Ward
		12	Jai Ambey Ward
		15	Chandra Shekhar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	6	Rajiv Gandhi Ward
7.	Female	4	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		5	Sadar Bazar Ward
		8	Shankar Nagar Ward
		9	Shitla Mandir Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–74/2014/18 (5) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत पाटन, जिला– दुर्ग के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	अस्पताल चौक वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	5	मीलपारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	6	बेलाहीपार वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	इंदिरा नगर वार्ड
		9	भाठापारा वार्ड
		14	खोरपा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	2	राजीव चौक वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	अखरा वार्ड
		11	ब्राम्हण पारा वार्ड
		13	शीतला पारा वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–74/2014/18 (5) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–74/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1-74/2014/18 (5) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Patan, Distt. Durg** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	8	Hospital Chowk Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	5	Millpara Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	6	Belahi Par Ward
5.	Other Backward Class	1	Indira Nagar Ward
		9	Bhathapara Ward
		14	Khorpa Ward
6.	Other Backward Class (Female)	2	Rajiv Chowk Ward
7.	Female	3	Akhara Ward
		11	Brahmanpara Ward
		13	Shitlapara Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–74/2014/18 (6) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत उतई, जिला– दुर्ग के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	6	घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	12	गांधी चौक वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	13	नयापारा वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	इंदिरा नगर वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	घुमियार चौक वार्ड
		10	बंजारी पारा वार्ड
		11	आदर्श नगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	भाठापारा वार्ड
7.	महिला वर्ग	9	नेहरू नगर वार्ड
		15	इंदिरा आवास वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–74/2014/18 (6) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–74/2014/18 (6) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F 1–74/2014/18 (6) the list of the Reservation of Wards for **Nagar Panchayat Utai, Distt. Durg** is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	6	Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	12	Gandhi Chowk Ward
3.	Scheduled Tribes	13	Nayapara Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	1	Indira Nagar Ward
5.	Other Backward Class	8	Ghumiyar Chowk Ward
		10	Banjari Para Ward
		11	Adarsh Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Bhathapara Ward
7.	Female	9	Nehru Nagar Ward
		15	Indira Aawas Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.